न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी– अजीत कुड़ी, आर.जे.एस.
नियमित आपराधिक प्र0 सं0– 1196/2021
सी.आई.एस. नंबर– 608/2019

1. रामचरण शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम नायला पसार की ढाणी (रामजीपुरा) पुलिस थाना कानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

................परिवादी

विरूद्ध

2. दौलत राम मीणा पुत्र श्री रतन मीणा निवासी नायला दीवानों की ढाणी, सर हरिकिशनपुरा, नायला पुलिस थाना कानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (राजस्थान)

................अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम

उपस्थित :

1. श्री राजेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।
2. श्री दिनेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

निर्णय

दिनांक : 14.02.2023

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रामचरण शर्मा के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त दौलत राम मीणा के विरूद्ध दिनांक 29.05.2017 को एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने परिवादी से अपनी निजी आवश्यकताओं एवं घरेलू कार्यों की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण राशि 7,00,000/– रूपयों की

नगद उधार मांग की और परिवादी ने अभियुक्त को दिनांक 31.01.2017 को राशि 7,00,000/– रूपये नगद उधार अदा कर दिये और अभियुक्त ने परिवादी को राशि 7,00,000/– रूपये नगद उधार की अदायगी पेटे दो चैक क्रमशः (1) चैक संख्या 472620 दिनांकित 24.03.2017 राशि 3,50,000/– बैंक केनरा बैंक शाखा कानोता जिला जयपुर व (2) चैक संख्या 472619 राशि 3,50,000/– दिनांकित 24.03.2017 बैंक केनरा बैंक शाखा कानोता जिला जयपुर के अपने हस्ताक्षर कर उक्त दोनों चैकों को अदा कर दिया और अभियुक्त ने परिवादी को उक्त दिनांक या उसके पश्चात् अपने बैंक में उक्त दोनों चैकों को लगाने पर भुगतान होने का पूर्ण आश्वासन दिया। परिवादी ने अभियुक्त को सूचित कर उक्त दोनों चैक क्रमशः (1) चैक संख्या 472620 व (2) चैक संख्या 472619 को भुगतान हेतु अपनी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कानोता जिला जयपुर में भुगतान हेतु लगाया जिस पर परिवादी की बैंक ने उक्त दोनों चैकों को सिकरने हेतु अभियुक्त की बैंक केनरा बैंक शाखा कानोता में भेजा लेकिन अभियुक्त की बैंक ने अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अपर्याप्त राशि का नोट लगाकर रिटर्न मीमो के साथ परिवादी की बैंक में उक्त दोनों चैकों को बिना भुगतान अनादरित करके दिनांक 28.04.2017 को वापस भेज दिया। परिवादी की बैंक ने परिवादी को दिनांक 28.04.2017 को चैकों के अनादरित होने की सूचना दी। परिवादी ने अभियुक्त को उक्त चैक में देय राशि की मांग करते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05.05.2017 को एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त के निवास पते पर भिजवाया गया और परिवादी द्वारा नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया। लेकिन जानबूझकर भुगतान नहीं करने के उद्‌देश्य से नोटिस प्राप्त हो जाने के बावजूद भी आज दिन तक चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त का यह कृत्य नेगोसियबल इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट की धारा 138 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अभियुक्त को दण्डित किया जाना आवश्यक है...........इत्यादि

2. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2017 को धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

3. तत्पश्चात् दिनांक 20.03.2018 को अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर अभियुक्त

को धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिकतः सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर हस्तगत प्रकरण की पत्रावली साक्ष्य परिवादी के स्तर पर नियत की गई। तत्पश्चात् श्रीमान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महोदय, जयपुर महानगर के आदेश क्रमांक 1661/2 दिनांक 05.05.2018 की पालना में हस्तगत परिवाद न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–24, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम से अंतरित होकर न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–32, बस्सी, जयपुर महानगर के समक्ष दिनांक 14.06.2018 को साक्ष्य परिवादी के स्तर पर पेश हुआ।

4. तत्पश्चात् परिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में बतौर गवाह पी0ड0 1 परिवादी स्वयं एवं गवाह पी0ड02 प्रभूनारायण शर्मा को पेश कर परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श पी1 व प्रदर्श पी2, अनादरण प्रपत्र प्रदर्श पी3 व पी4, नोटिस प्रदर्श पी5, रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी6, स्वीकृति प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी7, मूल इकरारनामा प्रदर्श पी8 एवं मूल परिवाद पत्र प्रदर्श पी9 इत्यादित दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गए हैं।

5. परिवादी साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियुक्त दौलत राम मीणा को धारा 313 द0प्र0सं0 के अधीन परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत एवं गवाहों का झूठ बोलना तथा ''मैंने कोई पैसा उधार नहीं लिया। सिक्यूरिटी पेटे मेरे चैक व स्टाम्प का दुरूपयोग किया है'' इत्यादि कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। किंतु बाद पर्याप्त अवसर वास्ते पेश करने साक्ष्य सफाई दिये जाने पर भी अभियुक्त पक्ष की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर दिनांक 17.02.2020 को मुलजिम का साक्ष्य सफाई का अवसर बंद कर पत्रावली बहस अंतिम के स्तर पर नियत की गई। तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण की पत्रावली श्रीमान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महोदय, जयपुर महानगर प्रथम के आदेश क्रमांक 1671 दिनांक 06.09.2021 की पालना में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–16, जयपुर महानगर प्रथम से अंतरित होकर इस वर्तमान न्यायालय के समक्ष पेश हुई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद पत्र में

वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करवाया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इस संबंध में परिवादी की ओर से पेश कर परीक्षित करवाये गये गवाहान से विस्तृत रूप से जिरह भी अभियुक्त पक्ष द्वारा की जा चुकी है, जिसमें भी अभियुक्त दौलत राम मीणा को पैसे उधार दिये जाना तथा वापिस नहीं लौटाना इत्यादि परिवादी की ओर से बताया जाकर साबित करवाया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी से राशि उधार लेने के बाद दिए गए चैक बैंक द्वारा अनादरित किये गये, जिसकी सूचना व नोटिस भी अभियुक्त को दिया गया, जो कि अभियुक्त को मिल जाने पर भी अभियुक्त के द्वारा चैकों में वर्णित सात लाख रूपये राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया है। उनके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

7. जबकि इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत की गई साक्ष्य में भारी विरोधाभास रहा है, प्रदर्श पी1 व प्रदर्श पी2 चैकों तथा असल स्टांप/इकरारनामा का परिवादी द्वारा मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दुरूपयोग किया गया है तथा परिवादी के द्वारा अपनी आय का निश्चित स्रोत भी नहीं बताया गया है तथा परिवादी के पास सात लाख रूपये की राशि किस प्रकार से रही होकर उक्त राशि अभियुक्त को परिवादी के द्वारा दी गई, यह तथ्य भी साक्ष्य के माध्यम से परिवादी पक्ष साबित नहीं करवा सका है। जिससे भी परिवाद पत्र खारिज होने योग्य है। परिवादी द्वारा आयकर का रिटर्न भी पेश नहीं किया गया है। परिवादी एवं गवाह प्रभूनारायण से की गई जिरह से भी यह मामला खण्डित हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि परिवादी जिरह में स्वीकार करता है कि उसने दो जनों से पैसे उधार लिए अर्थात् परिवादी अन्य व्यक्तियों से पैसे उधार लेकर अभियुक्त को कुल मिलाकर सात लाख रूपये देगा, यह भी पूर्णतया अप्राकृतिक व संदेहास्पद है। उनके द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किये गये हैं कि अभियुक्त पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध ली जाने वाली उधारणा का बखूबी तौर पर खण्डन कर यह स्पष्ट करवाया है कि परिवादी से अभियुक्त द्वारा परिवाद पत्र में वर्णित सात लाख रूपये की रकम प्राप्त नहीं की गई थी। साथ ही उनके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. सुना गया। उभय पक्षों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार–मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ प्रश्न यह है कि–
'' क्या अभियुक्त दौलत राम मीणा ने परिवादी से उधार प्राप्त किए गए रूपयों 7,00,000/– के भुगतान हेतु अपने खाते के दो चैक क्रमशः संख्या 472620 राशि 3,50,000/– तथा संख्या 472619 राशि 3,50,000/– दोनों दिनांकित 24.03.2017 स्वहस्ताक्षरित कर परिवादी को जारी किये, जो चैक परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के कारण अनादरित किये जाकर पुनः परिवादी को लौटा दिये गये, जिस पर परिवादी ने एक रजिस्टर्ड सूचना भी प्रेषित की किन्तु उक्त सूचना प्राप्ति के उपरांत भी अभियुक्त ने निर्धारित समयावधि में उक्त चैकों की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया? यदि हां, तो दंड की उचित मात्रा क्या होगी?''

10. उपरोक्त अवधारणार्थ प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का तुलनात्मक अवलोकन एवं विवेचन करें तो परिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में सर्वप्रथम गवाह पी0ड0 1 रामचरण अर्थात् परिवादी द्वारा स्वयं को परीक्षित करवाया गया है। परिवादी द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि मेरे द्वारा दिनांक 18.07.2018 को उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर मैंने पढ़कर हर पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये थे। परिवादी की तरफ से प्रस्तुत अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में मुख्यतः परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया गया है। साथ ही न्यायालय के बयानों में परिवादी कथन करता है कि परिवाद में परिवाद के साथ मेरे द्वारा प्रस्तुत असल चैक प्रदर्श पी–1 व 2 हैं जिनके अनादरण प्रपत्र प्रदर्श पी–3 व 4 हैं। नोटिस प्रदर्श पी–5, रजिस्टर डायरी की डाक रसीद प्रदर्श पी–6, स्वीकृति प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–7 हैं। इकरारनामा प्रदर्श पी–8 हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं और दौलतराम के सी से डी हस्ताक्षर हैं और परिवाद पत्र प्रदर्श पी–9 है।

11. उपरोक्त साक्ष्य परिवादी रामचरण के द्वारा मुख्य परीक्षा के तौर पर न्यायालय के समक्ष

प्रदान की गई है। तत्पश्चात् अभियुक्त पक्ष द्वारा की गई जिरह में परिवादी रामचरण यह कथन करता है कि वह और दौलतराम दोनों एक ही गांव नायला के निवासी हैं। उसके द्वारा प्रदर्श पी–9 व प्रदर्श पी–5 में अभियुक्त का व उसका निवास स्थान का पता अलग–अलग लिखा हुआ है पर दोनों ही गांव नायला में है। उसके अच्छे संबंध कभी–कभी पैसों की लेनदेन को लेकर थे। कभी पैसे दे देता था और कभी ले लेता है। उसके द्वारा दौलतराम को पैसा देने पर सिक्योरिटी पेटे चैक लेता था। उसकी मासिक आय लगभग 40,000/– रूपये है। उसकी वार्षिक आय 4 लाख 80 हजार के लगभग है, कभी ज्यादा भी हो जाती है। वह आयक रिटर्न भरता है। उसका प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड है, परंतु साथ ही यह भी बताता है कि उसने प्रतिष्ठान के रजिस्टर्ड होने व आयकर के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। इस प्रकार, परिवादी रामचरण के द्वारा जिरह की साक्ष्य में अपनी आय के बाबत् कथन किये गये हैं। जिससे अभियुक्त पक्ष परिवादी से की गई जिरह से ऐसी कोई स्थिति तथ्यात्मक रूप से प्रकट नहीं ला सका है, जिससे यह दर्शित होता हो कि परिवादी के पास आय का कोई स्रोत ही नहीं होने से वह सात लाख रूपये नहीं रखता हो तथा अभियुक्त को परिवादी द्वारा रूपये उधार नहीं दिये गये हों। गवाह पी.ड. 1 रामचरण आगे जिरह में कथन करता है कि उससे दौलतराम ने किस दिन पैसों की मांग की, वह नहीं जानता। यह उसे याद नहीं है। उसके द्वारा परिवाद में जिस दिन पैसों की मांग की उस दिनांक का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी–9 में पैसे मांगने की दिनांक का अंकन नहीं है। परंतु यह कथन करता है कि पैसे उधार देने की दिनांक का अंकन है। उसकी घरेलू आवश्यकता थी, उसने मकान का काम चलाया था। निजी आवश्यकता क्या थी, यह उसे नहीं पता। इस प्रकार, परिवादी से की गई उक्त जिरह से भी परिवादी द्वारा अभियुक्त को पैसे उधार देना साफ होकर स्पष्ट हुआ है। इसी प्रकार गवाह पी0ड0 1 परिवादी रामचरण मुलजिम पक्ष की जिरह में आगे कथन करता है कि उसने दो चैक लिये थे। दिनांक 31.01.2017 को उसने अपने प्रतिष्ठान के बैंक खाते से कितने रूपये निकलवाये उसे ध्यान नहीं है। कुछ पार्टियों से पैसा आया हुआ था, उसके पास कुछ नकद भी था। इसी प्रकार, आगे कहता है कि उसके पास पहले के दो लाख रूपये थे बाकी सागर फैशन प्रतिष्ठान से 60 हजार रूपये व एक दीप जरी आर्ट से 70 हजार रूपये और बाकी उसके पास था तथा और दो जनों से उधार लाया था। उसने बाकी पैसा प्रभूनारायण शर्मा से तथा रामफूल शर्मा दौसा से डेढ लाख रूपये लाया था। प्रभूनारायण से दो लाख रूपये लेकर आया था। इसके अलावा, परिवादी जिरह में दो रूपये सैंकड़ा की ब्याज दर से पैसे उधार लाना तथा इसी ब्याज दर

से दौलतराम को देना भी बताता है। इस प्रकार, परिवादी रामचरण के द्वारा की गई उपरोक्त वर्णित जिरह की साक्ष्य के माध्यम से भी उसके द्वारा अभियुक्त को दिये गये सात लाख रूपयों का मोटा–मोटा हिसाब स्पष्ट तौर पर बतलाया गया है, जिससे भी स्पष्ट रूप से परिवादी द्वारा अभियुक्त को परिवाद पत्र में वर्णित राशि उधार तौर पर दी जानी पाई गई है। इसके अतिरिक्त, गवाह पी.ड. 1 परिवादी रामचरण आगे जिरह में यह कथन करता है कि उसके द्वारा रूपया ब्याज पर देने का कार्य नहीं किया जाता है। दौलतराम उससे मिलने वाला था, उसकी जरूरत थी इसलिए पैसे उसे दिये थे तथा वह प्रभूनारायण व रामफूल को न्यायालय में बयान देने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। वह उसके प्रतिष्ठान के खाते की, स्वयं के खाते की पासबुक, इनकम टैक्स रिटर्न तलब करवाने पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। चैक अनादरित होकर 28.04.2017 को प्राप्त हुआ। उसके द्वारा प्रथम व द्वितीय बार चैक अनादरित होकर लौटने पर नोटिस राजेश कुमार शर्मा जी अधिवक्ता से दिलवाया था। जो चैक लगाया गया उसकी रिटर्न रसीद व नोटिस पत्रावली पर है। आगे कहता है कि उसने जब पहली दफा रिटर्न हुआ, उसका नोटिस नहीं दिया। फिर दोबारा बैंक में चैक लगाने पर उसके अनादरित होने पर जरिये अधिवक्ता नोटिस दिया। इसी प्रकार अपनी जिरह में गवाह पी.ड. 01 आगे यह कथन करता है कि उसे चैक 31.07.2017 को ही दिया था। परंतु आगे अज खुद कहता है कि 31.01.2017 को चैक दिया। उसने परिवाद पर पढ़–समझ कर हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी–7 में तारीख अंकित नहीं है। बैंक रिटर्न मीमो पर बैंक की सील मोहर नहीं है तथा प्रदर्श पी–1 व पी–2 में चैकों की लिमिटेशन कितनी राशि की होगी, यह अंकित नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा नायला में लिखा गया था। इकरारनामे पर उसके हस्ताक्षर स्टांप की लिखावट के बाद में उसके हस्ताक्षर करवाये थे। स्टांप की लिखावट के समय तीन–चार आदमी थे, जिनके नाम उसे ध्यान नहीं है फिर कहा कि प्रभूजी थे, उनके हस्ताक्षर करवाये थे, बाकी व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। आगे कथन करता है कि उसको चैक व स्टांप भरकर दिये गये थे। खाली नहीं दिये गये थे। स्टांप अटेस्ट करवाने वह और मुलजिम दोनों बस्सी गये थे। ....इत्यादि। इस प्रकार से परिवादी द्वारा जिरह के दौरान किये गए उक्त वर्णित तमाम कथनों से भी यह तथ्य अभियुक्त पक्ष के द्वारा निष्कर्षात्मक रूप से प्रकट नहीं लाया जा सका है कि परिवादी से अभियुक्त के द्वारा परिवाद में वर्णित अनुसार सात लाख रूपए नकद उधार प्राप्त नहीं किए गए हों तथा इन रूपयों के भुगतान पेटे दोनों असल चैक प्रदर्श 1 तथा प्रदर्श 2 परिवादी को नहीं दिये गये हों। परिवादी की जिरह में बतौर गवाह पी.ड. 1

परिवादी अभियुक्त को उधार राशि किस दिनांक को दी गई तथा अभियुक्त द्वारा किस निजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु परिवादी से उक्त उधार राशि प्राप्त की गई, यह परिवादी को ध्यान नहीं होना तथा इन तथ्यों का अंकन परिवाद पत्र प्रदर्श पी9 में नहीं किया जाना अवश्य कथन करता है परंतु केवलमात्र इन तथ्यों के माध्यम से यह परिवादी मामला असत्य प्रकट होता हो, ऐसी स्थिति अभियुक्त पक्ष नहीं दर्शा सका है, क्योंकि प्रथमतः तो परिवादी जिरह में स्पष्ट रूप से बताता है कि परिवाद पत्र प्रदर्श पी9 में पैसे उधार देने की दिनांक का अंकन है। इसके अलावा, अभियुक्त पक्ष के द्वारा परिवादी से विस्तारपूर्वक जिरह की गई है, परंतु अभियुक्त पक्ष ऐसा कोई तथ्य लेशमात्र तौर पर भी प्रकट नहीं ला सका है कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी से उधार प्राप्त की गई राशि के पेटे चैक प्रदर्श पी1 व प्रदर्श पी2 नहीं दिये गये हों। साथ ही अभियुक्त पक्ष परिवादी से की गई समस्त जिरह से ऐसा भी कोई तथ्य किंचितमात्र तौर पर भी प्रकट नहीं ला सका है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी को उससे बतौर प्राप्त की गई सात लाख रूपये की राशि को वापिस भुगतान कर दिया गया हो, बल्कि इस संबंध में तो कोई विशिष्ठ जिरह भी परिवादी से अभियुक्त पक्ष के द्वारा नहीं की गई है। साथ ही परिवादी के द्वारा जिरह के दौरान किए गए उक्त वर्णित तमाम कथनों के द्वारा भी अभियुक्त पक्ष यह तथ्य भी किसी भी प्रकार लेशमात्र रूप में भी स्पष्ट नहीं करवा सका है कि प्रदर्श पी1 लगायत प्रदर्श पी9 तक की कार्यवाहियां संदिग्ध या मिथ्या होना प्रकट होती हों, बल्कि अभियुक्त पक्ष किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का लेशमात्र भी खण्डन नहीं करवा पाया है, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी1 व प्रदर्श पी2 असल चैक, प्रदर्श पी7 प्राप्ति स्वीकृति रजिस्टर्ड नोटिस, इकरारनामा प्रदर्श पी8 इत्यादि के संबंध में किसी भी प्रकार की तात्विक प्रकृति की जिरह ही परिवादी से अभियुक्त पक्ष द्वारा नहीं की गई है। जबकि दस्तावेजात में से प्रदर्श पी7 प्राप्ति स्वीकृति रजिस्टर्ड नोटिस पर अभियुक्त दौलतराम मीणा के हस्ताक्षर बाकायदा हो रखे हैं, जिनका कोई खण्डन परिवादी से की गई जिरह के माध्यम से नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार, अन्य समस्त दस्तावेजी साक्ष्य को भी अभियुक्त पक्ष लेशमात्र भी खण्डित या विचलित नहीं करवा पाया है। इस प्रकार, परिवादी की तमाम साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य साफ तौर पर स्पष्ट होकर प्रकट आया है कि इस मामले में अभियुक्त के द्वारा परिवादी को उससे उधार ली गई राशि के पेटे ही विधिक दायित्व के तहत ही चैक प्रदर्श 1 तथा प्रदर्श 2 अपने हस्ताक्षर कर भरकर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त परिवादी से अभियुक्त पक्ष की संपूर्ण जिरह में ऐसा कोई सुझाव तक भी नहीं दिया गया है, जिससे

कि यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त के हस्ताक्षर विवादित चैकों या अन्य दस्तावेजात पर नहीं हो रखे हों, जिससे भी यह स्थिति पूर्णतया साफ व स्पष्ट होती है कि उक्त चैक प्रदर्श 1 तथा प्रदर्श 2 पर चैक जारीकर्ता के स्थान पर अभियुक्त दौलतराम मीणा के ही हस्ताक्षर हो रखे हैं। इस प्रकार, अभियुक्त पक्ष द्वारा की गई जिरह से किसी भी प्रकार से परिवादी पक्ष का मामला खंडित या अविश्वसनीयता की श्रेणी में होना प्रकट नहीं लाया जा सका है बल्कि परिवादी से की गई तमाम जिरह से परिवाद पत्र में वर्णित हुए तथ्यों का खुलासा तौर पर स्पष्टतः समर्थन ही हुआ है।

12. तत्पश्चात् परिवादी पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 02 के रूप में गवाह प्रभूनारायण शर्मा को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिसके द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में मुख्यतः उसके द्वारा दिनांक 24.04.2019 को साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया जाना एवं इकरारनामा प्रदर्श पी–8 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होने बाबत् कथन किये गये हैं। गवाह प्रभूनारायण के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में दिनांक 31.01.2017 को ग्राम नायला में रामचरण के द्वारा दौलतराम को सात लाख रूपये नकद उधार देना, रामचरण के द्वारा दो लाख रूपये उससे उधार लेना, दौलतराम के द्वारा उक्त रूपयों की अदायगी पेटे दो चैक रामचरण को देना, दौलतराम के द्वारा स्टांप प्रदर्श पी8 खरीद कर लाना व इस पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना इत्यादि कथन कर परिवादी के कथनों के समर्थन स्वरूप कथन किये गये हैं। साथ ही मुलजिम पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 2 से की गई विस्तृत जिरह में यह गवाह कथन करता है कि उसने रामचरण को दो लाख रूपये दिये, उस बाबत् कोई लिखा पढी नहीं की। उसने जो दो लाख रूपये रामचरण को दिये थे, वो उसके पास से ही दिये थे, उसने किसी खाते से नहीं निकलवाये। उसने रूपये 31.01.2017 को रामचरण को दिये थे। आगे कथन करता है कि स्टांप को तस्दीक कराने कौन गया था, उसे नहीं पता। अज खुद कहता है कि तस्दीक कराने रामचरण और दौलतराम गये थे। वह चैक से कोई लेनदेन नहीं करता और ना ही कोई जानकारी है। दौलतराम को रूपयों की क्या आवश्यकता थी, उसे जानकारी नहीं है। चैक भरकर दिया था। गवाह आगे कथन करता है कि यह बात सही है कि रामचरण ने दौलतराम को पैसे दिये हैं। साथ ही जिरह में यह भी बताता है कि उसने रामचरण को दो लाख रूपये दिये, उसका डायरी में अंकन किया। इसके अलावा, जिरह में यह भी बताता है कि प्रदर्श पी8 इकरारनामा में उसके द्वारा रामचरण को दो लाख रूपये देने का अंकन नहीं है। परंतु यह गवाह जिरह

जिरह में स्पष्ट बताता है कि चैक भरकर दिया था। इसके अलावा, जिरह में गवाह पी.ड. 2 चैक का नंबर पता नहीं होना बताता है, परंतु अंत में इस बात को गलत होना बताता है कि रामचरण व उसका तथा रामचरण व दौलतराम का कोई लेनदेन नहीं हुआ हो। ....इत्यादि। इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड. 2 के द्वारा भी अपनी जिरह में परिवादी रामचरण द्वारा अभियुक्त दौलतराम को पैसे उधार दिये जाने संबंधी तथ्य स्पष्ट तौर पर प्रकट किये गये हैं तथा मुलजिम पक्ष उक्त गवाह पी.ड. 2 से की गई जिरह से ऐसा कोई स्पष्ट व ठोस तथ्य उजागर नहीं करवा पाया है, जिससे परिवादी पक्ष का मामला किसी भी प्रकार खण्डनीय एवं असत्य प्रकृति का प्रकट लाया जा सकने में मुलजिम पक्ष द्वारा लेशमात्र तौर पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती हो, बल्कि गवाह पी.ड. 2 की साक्ष्य से परिवादी की साक्ष्य बखूबी रूप से मदद व सहायता प्राप्त करती हुई अभियुक्त के द्वारा ही आरोपित अपराध कारित करने बाबत् स्थिति को और अधिक मजबूती व पुष्टि प्राप्त हुई है।

13. साथ ही अभियुक्त पक्ष के द्वारा अपने बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में स्वयं की और से साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत् कथन कर अवसर प्राप्त किये गये, परंतु न्यायालय द्वारा बावजूद पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अभियुक्त पक्ष की ओर से अपने बचाव में कोई भी ठोस एवं सुदृढ़ मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से भी परिवादी पक्ष के मामले का कोई खण्डन इस आधार पर भी अभियुक्त पक्ष करवा सकने में सफल नहीं रहा है।

14. जिससे ऐसी स्थिति में इस मामले में परिवादी पक्ष की ओर से पेश किये गए परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों का पूर्णरूपेण समर्थन परिवादी पक्ष की ओर से पेश की गई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी एवं ठोस रूप से हुआ होना प्रकट आया है। साथ ही गवाह पी0ड0 1 रामचरण व गवाह पी0ड0 2 प्रभूनारायण की साक्ष्य के आधार पर विवादित चैक प्रदर्श पी1 तथा प्रदर्श पी2 अभियुक्त के द्वारा स्वहस्ताक्षरित कर परिवादी को उससे उधार ली गई राशि के विधिक दायित्व पेटे देने के तथ्य की पुष्टि होती है। धारा 118 एनआई एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित चैक दिया जाता है तो यह माना जाएगा कि चैक किसी निश्चित प्रतिफल के पेटे ही जारी किया गया है। एनआई एक्ट की धारा 139 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाती है कि यदि अभियुक्त ने परिवादी को कोई चैक दिया है तो वह उसको किसी विधिक दायित्व के पेटे ही दिया होगा

और यद्यपि यह विधि की खण्डनीय उपधारणा है, परंतु जिसका खंडन अभियुक्त पक्ष करवा सकने में पूर्णतः विफल रहा है। इसलिए इस प्रकरण में यह उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध की जाएगी कि उसने विवादित चैक प्रदर्श पी1 तथा प्रदर्श पी2 परिवादी को उससे उधार ली गई राशि के विधिक दायित्व के पेटे जारी किये।

15. इस प्रकार, परिवादी के कथनों से विवादित चैक प्रदर्श पी1 तथा प्रदर्श पी2 के आधार पर अभियुक्त द्वारा उक्त चैक विधिक दायित्व के पेटे देने का तथ्य प्रमाणित हुआ है। उक्त चैकों को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के पृष्ठांकन के साथ लौटाना प्रदर्श पी3 तथा प्रदर्श पी4 रिटर्न मीमो/अनादरण प्रपत्रों से प्रमाणित हुआ है। चैक अनादरण के पश्चात् अभियुक्त को नोटिस प्रेषित किये जाने का तथ्य विधिक नोटिस की प्रति प्रदर्श पी5 तथा रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी6 के आधार पर तथा उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो जाने बाबत् तथ्य प्रदर्श पी7 मूल प्राप्ति स्वीकृति पर अभियुक्त दौलतराम मीणा के हस्ताक्षर अंकित होने से प्रमाणित हुआ है।

16. साथ ही धारा 27 जनरल क्लोज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सही पते पर भिजवाया गया पत्र वहां रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने की भी उपधारणा की जाती है। इस प्रकरण में अंदर मियाद परिवादी द्वारा एक विधिक नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक अभियुक्त के ज्ञात एवं सही पते पर भेजा जाना एवं अभियुक्त को प्राप्त हो जाना प्रदर्श पी5 लगायत प्रदर्श पी7 से स्पष्टतः प्रकट आया होकर संदेह से परे प्रमाणित हुआ है। परंतु नोटिस की प्राप्ति के बावजूद विवादित चैकों में वर्णित राशि का भुगतान नहीं करना यह जाहिर करता है कि अभियुक्त के द्वारा जानबूझकर अपने खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की जानकारी होने के बावजूद परिवादी को विवादित चैक देकर धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध कारित किया गया, जिससे उपरोक्त की गई समस्त विवेचना के अनुक्रम में यह कहा जाना पूर्णतया न्यायसंगत व विधिसम्मत पाया जाता है कि अभियुक्त दौलतराम मीणा के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट का आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है तथा अभियुक्त धारा 138 एन.आई. एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

17. अतः अभियुक्त दौलत राम मीणा पुत्र श्री रतन मीणा निवासी नायला दीवानों की ढाणी,

सर हरिकिशनपुरा, नायला पुलिस थाना कानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (राजस्थान) को आरोपित अपराध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अजीत कुड़ी)

दण्ड का प्रश्न

18. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को परिवाद पत्र में की गई वांछानुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त का प्रथम अपराध बताते हुये अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। गहनता से विचार मनन किया गया। चूंकि अभियुक्त को धारा 138 परक्रामय विलेख अधिनियम 1881 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उससे व्यावसायिक अस्थिरता बढ़ती है। साथ ही 2006 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) पेज 904 सर्व इंवेस्टमेंट व फाईनेंशियल कंसलटेंट प्राईवेट लि0 व अन्य बनाम लियोड्स रजिस्टर आफ शिपिंग इंडियन ऑफिस स्टाफ प्रोविडेंट फंड व अन्य में प्रतिपादित विधियों के आलोक में अभियुक्त को न्यायोचित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

19. अतः अभियुक्त दौलतराम मीणा को आरोपित अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट दोषसिद्ध पाए जाने पर एक (01) वर्ष के साधारण कारावास व चैकों की दुगुनी राशि 14,00,000/— रूपये अक्षरे चौदह लाख रूपये प्रतिकर के रूप में अधिरोपित किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2009 क्रि.ला. रि. एस.सी. पेज 436 विजयन बनाम सदानंदन व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यदि प्रतिकर की अदायगी में व्यतिक्रम किया जाता है, तो अदम अदायगी प्रतिकर राशि अभियुक्त 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। नियमानुसार सजा वारंट बनाया जावे।

20. प्रतिकर जमा नहीं होने पर बाद गुजरने अपील मियाद या अपील होने की सूरत में

अपील के निर्णय उपरांत धारा 421 दं0प्र0सं0 के तहत प्रतिकर वसूल किया जावे। अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि धारा 428 द0प्र0सं0 के अनुसार मूल सजा में मुजरा की जावे। प्रतिकर जमा होने की सूरत में अथवा वसूली होने की सूरत में बाद गुजरने मियाद अपील या अपील होने की सूरत में अपील के निर्णय उपरांत धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के तहत समस्त प्रतिकर राशि बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी रामचरण को नियमानुसार बाद रसीद अदा की जावे।

21. अभियुक्त के नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत् जमानत मुचलके एतत्द्वारा निरस्त किये जाते हैं। साथ ही अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए द0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त 10,000/— रूपये की जमानत व इतनी ही राशि के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि के लिए न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश कर तस्दीक करावें कि इस आदेश की अपील आदि होती है तो वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

22. निर्णय की प्रति अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क प्रदान की जावे।

(अजीत कुड़ी)

23. निर्णय एवं दंडादेश आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(अजीत कुड़ी)